ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 1 July 2020

बस्तर के मुरिया जनजाति में मृत्यु संस्कार की प्रचलित प्रथा: एक मानवशास्त्रीय अध्ययन

अंकिता अंधारे[1] एवं सुनील कुमार मेहता[2],

[1]शोधार्थी, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

[2]शोधार्थी, मानवविज्ञान अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.),

E. Mail ID: sunilmehta9098@gmail.com (Corresponding Author).

सारांश :-

छत्तीसगढ़ राज्य में सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजातियों में पहला नाम 'मुरिया जनजाति' का आता है। मुरिया जनजाति के द्वारा प्रत्येक महिने में विभिन्न प्रकार के तीज-त्यौहार एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न किये जाते हैं जो कि अन्य जाति/जनजाति के सदस्यों की तुलना में अधिक है। इनके द्वारा अपने जीवनकाल में विभिन्न प्रकार के संस्कार किए जाते हैं जिनमे से प्रमुख तीन संस्कार है- जन्म संस्कार, विवाह संस्कार एवं मृत्यु संस्कार इन तीनों संस्कारों में विभिन्न प्रकार के रस्म-रिवाज किए जाते हैं जिसमे कोई विशेष रिस्तेदार, सगे-संबंधी अथवा व्यक्ति के द्वारा यह रस्मों के कार्य का निर्वहन किया जाता है एवं नेग (मूल्य) प्राप्त किया जाता है। प्रस्तुत अध्ययन समुदाय आधारित विवरणात्मक प्रकार है जो छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले के लोहाण्डीगुड़ा विकासखण्ड के अन्तर्गत आने वाले

Copyright © 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 1 July 2020

6 गाँव जिसमें अपेक्षाकृत मुरिया जनजाति की जनसंख्या अधिक है, में सन् 2018 में किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक तथ्य पर आधारित है जिसे शोधकर्ता के द्वारा अध्ययन क्षेत्र में जाकर मुरिया जनजाति के उत्तरदाताओ से मृत्यु संस्कार संबन्धित आँकड़ो का विश्लेषण किया गया है ।

कुंजी शब्द-

मुरिया जनजाति, मृत्यु संस्कार, प्रचलित प्रथा।

प्रस्तावना

मुरिया समुदाय एक आदिवासी समूह है जो कि छत्तीसगढ़ के दक्षिण हिस्से में पाये जाते हैं। औपचारिक तौर पर इन्हे अनुसूचित जनजाति के नाम से नवाजा गया है, जो संवैधानिक भी है । भारत में इनकी जनसंख्या छत्तीसगढ़ के कांकेर, कोण्डागांव, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर व सुकुमा जिलों के अलावा 'सीमावर्ती' प्रदेशो जैसे ओड़िसा, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश एवं महाराष्ट्र में भी पाये जाते हैं। छत्तीसगढ़ में मुरियाओं की बड़ी आबादी कोण्डागांव, नारायणपुर व बस्तर जिले में पायी जाती है, ये लोग दुरस्थ अंदरूनी पहाड़ी से लेकर समतलीय ग्रामीण इलाके तथा छोटे शहर जो मूलतः अर्धशहरी इलाको में पाये जाते हैं, मुरियाओं की आबादी सघन है तथा वे सुगठित तरीके से रहते हैं। मनेल बाऊम (1972) के अनुसार आदिवासी जीवन गोत्र के ईद-र्गिद घूमती है। गोत्र केवल रिश्ते

Copyright © 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 1 July 2020

नाते के आधार पर सामाजिक व्यवस्था तक ही सीमित नही है, बल्कि यह सैद्धांतिक तौर पर विरासत, उत्तराधिकार, श्रम का विभाजन और सत्ता व विशेषाधिकारों के वितरण से संबंधित है। इस तरह से देखा जाये तो इसके अंतर्गत नैतिकता, धर्म, संस्कृति के साथ एक वैश्विक नजरिया भी सम्मिलित है जो उनके सामाजिक वास्तविक और विभिन्न प्रकार के संबंधों के साथ मेल खाती है। सहलिन्स (1961) कहते हैं कि, आदिवासी समाज में एक खण्डित व्यवस्था है जिसका संबंध सीमीत स्तर पर है ऐसे इलाकों में आदिवासी पूर्णतः स्वशासित समाज हैं जो आत्मसंयम के साथ भी स्व-आधीन भी होते हैं।

मुरिया समुदाय में मृत्यु संस्कार की परंपरायें -

मृत्यु संस्कार हर समुदाये के अंदर एक महत्वपूर्ण हिस्सा निभाती है क्योंकि यह भौतिक जीवन चक्र के अंतिम कड़ी के रूप में माना जाता है। आदिवासी/मूल निवासी समुदायों के बीच में इस प्रकार की मान्यता इनके जीवन की प्रबल मान्यताओं में से है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से भी इसका महत्व अधिक है क्योंकि यह जीवन चक्र के पहलुओं को समझने में सहायक होता है। किसी भी समुदाय के अंदर व्यक्ति मृत्यु उपरांत उस मृत शरीर के अंतिम संस्कार के तौर तरीके होते हैं। शरीर को दफनाने जलाने के संस्कार हैं। इसी तरह शरीर को चील कौओं को खिलाने तथा नदियों में बहाने के संस्कार हैं। जगदलपुरिया मुरियाओं के बीच मृत्यु उपरांत होने वाले अनेक संस्कार शेष मुरियाओं से भिन्न हैं। हांलाकि सरसरी तौर पर देखा जाये तो इन दोनों में समानता जरूर नजर आएगी। साधारण शोधकर्ता इसे समान्तर शोध के रूप में रचित करेगें। इसमें कोई दो मत नही है कि कई सारे मृत्यु उपरांत होने वाले रिति-रिवाजों में समानता

Copyright © 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 1 July 2020

नजर आएगी लेकिन जगदलपुरिया मुरिया एवं अन्य मुरियाओं के बीच एक ही प्रकार के रिति-रिवाजों की एक समान मान्यता होना जरूरी नही है। वैसे ये लोग घोटुल मुरिया एवं झोरिया मुरिया को सामाजिक स्तर पर कमजोर मानते हैं। इस प्रकार के सामाजिक स्तरीकरण के वजह से ही संभवतः मान्यताओं में भी परिवर्तन आ चुका है।

जनजाति शब्द कुछ हद तक औपचारिक एवं बड़े पैमाने पर संवैधानिक शब्द है। वैसे अंग्रेजी में समान्तर शब्द 'ट्राइब' है। जबकि आदिवासी अथवा मूलनिवासी का समान्तर शब्द अंग्रेजी में 'इंडिजिनियस' है। इनसाइक्लोपिडिया ब्रिटानिका के अनुसार ट्राइब शब्द प्राचीन रोम के उद्भव हुआ जहाँ ट्राइब शब्द का प्रयोग राज्य में एक विशिष्ट विभाग के लोगों के लिए किया गया था। कालक्रम में यह शब्द उन संस्कृति से भिन्न हुआ करता था। 19 वीं सदी के पहुँचते-पहुँचते तक अनेक मानवशास्त्री व समाजशास्त्री इस शब्द का प्रयोग कबीलावासीयों एवं ऐसे समुदायों के संस्कृति को दर्शाने हुये करने लगे। भारत में शेड्यूल ट्राइब का प्रयोग अंग्रेजो ने प्रभाव में आकर करने लगे यह शब्द सर्वप्रथम संविधान में सम्मिलित किया गया। लेकिन ट्राइब अथवा ट्राइबल शब्द का प्रयोग इससे कई पहले ब्रिटिश तथा अन्य यूरोपीय देशो के मानवशास्त्री व समाजशास्त्रीयों ने भारत के साथ-साथ अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, न्यूजीलैण्ड, आस्ट्रेलिया, उत्तरीध्रुव के यूरोपीय देशो के समुदाय के संदर्भ में किया करते थे।

विद्यार्थी (1977)[1] के अनुसार जनजाति दूसरे समाजों से पूरी तरह व कुछ भिन्न, समान अवयवी, अलग व्यक्तित्व वाली एवं आत्मनिर्भर होती है। जल, जंगल, जमीन पर उसके कानूनी अधिकार होते हैं जनजाति में

Copyright © 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 1 July 2020

विशिष्ट जीवन पद्धति एवं सामाजिक नियम होते हैं इनमें प्रसाशनिक व्यवस्था, सांस्कृतिक एकता एवं सांस्कृतिक जीवन विशेष होती है । मानवशास्त्र के विद्वानों ने जनजातियों को अनेक नामो से संबोधित किया है, सर हर्बर्ट रिसले (1915)[2], लेके, टेलेंट्स, सेजविक, मार्टिन ए.वी. ठक्कर आदि ने इन्हे आदिवासी (एबारिजिन्स) कहा है, डा. जे.एच.हट्टन (1847)[3] ने इन्हे आदिम जातियाँ (Primitive Tribes) के नाम दिया सर ए.बेन्स (1912)[4] ने पर्वतीय जनजातियाँ (हिल ट्राइब्स), (वन्य जाति, जंगल पीपुल, फारेस्ट ट्राइब्स अथवा फोक) कहा है टेलेन्ट्स, माट्रिन ने उन्हे सर्वजीववादी (एनिमिस्ट्स) कहा है भारतीय समाजषास्त्री डॉ. जी.एस. धुरये (1983)[5] ने उन्हे आदिवासी (सोकाल्ड एबारिजिंस) कहा है और इनके लिए अनुसूचित जनजातियाँ (शेडूयल ट्राईब्स) नाम प्रस्तावित किया और इनके ही प्रस्तावनुसार इन्हें भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों के नाम से स्थान दिया गया । वैरियर एल्विन (1939)[6] ने बैगा जनजातियों को भारतवर्ष का मूल स्वामी (ओरीजनल ओवर्नस आफ दि कंट्री) स्वीकार डा. आर. के. दास और एस.आर. दास ने इनके लिए दलित मानवता (सबमज्ड ह्यूमेनिटी) और गिसबर्ट (1957)[7] ने प्राक साक्षर (प्रिलिंटरेट) नामो का प्रयोग श्री.एल.एम. श्रीकान्त के अनुसार कालो में अरण्यक रानीपरज और आदिवासी कहा गया है । प्रजातीय दृष्टि से इन समूहों में नीग्रिटो, प्रोटो-आस्ट्रेलायड और मंगोलायड़ तत्व मुख्यतः पाये जाते है कतिपय नृतत्वेत्ताओं ने नीग्रिटो तत्व के संबंध में शंकाएँ उपस्थित की है ।[8]

शोध का उद्देश्य:-

Copyright © 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 1 July 2020

- मुरिया जनजाति समुदाय में मृत्यु संस्कार की प्रचलित प्रथा को जानना।

शोध-प्रविधि एवं पद्धति

शोध की प्रकृति- गुणात्मक प्रकार की है।

शोध-प्रारूप- विवरणात्मक एवं अनवेषणात्मक प्रकार का है।

निदर्शन- अध्ययन क्षेत्र का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले के लोहाण्डीगुड़ा विकासखण्ड के अन्तर्गत आने वाले मुरिया बाहूल्य 6 गाँव (छिंदगाँव, गढ़िया, तारागाँव, टाकरगुड़ा, चित्रकोट एवं अलनार- साड्रा) का चयन किया गया है। उत्तरदाताओं के चयन के लिये दैव निदर्शन के लाटरी प्रणाली के द्वारा 230 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है।

तथ्य संकलन- प्राथमिक तथ्य संकलन के लिए साक्षात्कार अनुसूची, अवलोकन, व्यैक्तिक अध्ययन, आडियो-विडियो रिकार्डिंग एवं छायाचित्र का प्रयोग किया गया है तथा द्वितीयक तथ्य संकलन के लिये संबंधिक पुस्तक, प्रकाशित शोध-पत्र, प्रकाशित शोध-प्रबंध इंटरनेट वेबसाइट का उपयोग किया गया है।

परिणाम एवं विश्लेषण

मुरिया जनजातीय समुदाय में किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत से संस्कार किया जाते हैं जैसे जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु

Copyright © 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 1 July 2020

संस्कार यह तीनों एक महत्वपूर्ण संस्कार माने जाते हैं। इन संस्कारों को पूरा करने के लिए विभिन्न चरण अपनाए जाते हैं जिसे अपने सामर्थ्य के अनुसार जनजातीय समुदाय के प्रत्येक परिवार को करना अनिवार्य होता है। बस्तर जैसे आदिवासी क्षेत्र में नियमों में आमूलचूल परिवर्तन दूरी के अनुसार दिखाई देते हैं परंतु एक आदर्श संस्कार की क्रियाविधि जो बस्तर जिले के लोहण्डीगुड़ा विकासखंड में प्रचलित मृत्यु संस्कार में प्रचलित है जिसका मानव शास्त्रीय अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। क्षेत्रकार्य के दौरान पाया गया कि समान्यतः मुरिया समुदाय के सभी परिवार में मृत्यु संस्कार के लिए अंतिम यात्रा में मृत शरीर को दफनाया जाता है परंतु कुछ दूसरे संस्कृति के संपर्क मे आने से दाह संस्कार की विधि अपनाने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं सामाजिक रूप से अमान्य है परंतु इस तरह संस्कृति में आए परिवर्तन को देखा जा सकता है। जिन उत्तरदाताओं ने दहन संस्कार को अपनाने की बात की है उनके परिस्थितियाँ निम्नलिखित में से कोई एक या उससे अधिक रही है -

- अकास्मिक दुर्घटना, आत्महत्या, संक्रामक बीमारी से मृत्यु होने की स्थिति।
- हिन्दु धार्मिक व्यवस्था का अति प्रभाव पड़ने से उसका पालन करने की वजह से।
- पढ़े लिखे लोग जब आर्थिक रूप से सम्पन्न हो जाते हैं।
- मृतक की इच्छानुसार।

मुरिया जनजाति समुदाय में किसी व्यक्ति या महिला की मृत्यु होने पर पूरे गांव वासी एवं अन्य सगे-संबंधियों को सूचना दिया जाता है गांव के सभी सदस्यों के आने पर शव को पुजारी के द्वारा मिट्टी से सिर से लेकर पैर तक

Copyright © 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 1 July 2020

पूरे शरीर को धोया जाता है साथ ही तेल-हल्दी उल्टे हाथ से सर्वप्रथम सिर मे फिर पूरे शरीर में लगाया जाता है।

अर्थी (तारण्डी) तैयार करने की विधि- गांव के लोगों के द्वारा बांस से सीढ़ीनुमा आकृति में तारण्डी तैयार किया जाता है जिसमें कुसखड़ (एक प्रकार की लंबी घास) बिछाया जाता है, उसके पश्चात कपड़ा बिछाया जाता है उसके बाद शव को रख दिया जाता है। शव के ऊपर पुनः कपड़े फिर केला पत्ता रखकर बांधा जाता है फिर परिवार के सदस्यों के द्वारा कंधा देकर घर से 100 मीटर दूरी पर रखा जाता है जहां शव का सिर दक्षिण दिशा जिस पर मिट्टी के छोटे कोंडी (घड़े), चम्मच, पुराने कपड़े दिया जाता है महिलाओं के द्वारा वही पर मिट्टी दिया जाता है यदि किसी विवाहित महिला का पति खत्म हो गया हो तो वहां चूड़ी फोड़ा जाता है और फोटकी की धान (धान की चिपटी) वहां छोड़ दिया जाता है।

शव दफन - शव मरघट (समशान) की ओर ले जाया जाता है जहां 6.50 फीट लंबाई 2 फीट गहरा गड्ढा खोदा जाता है जिसे गोबर से लीपा जाता है गड्ढे की सात बार परिक्रमा कर पूर्व दिशा की ओर सिर रख शव रखा जाता है कमर की रस्सी और बाकी सामान खोला जाता है गड्ढे में सर्वप्रथम केला का पत्ता, फिर कपड़ा, फिर नमक, उसके ऊपर कपड़ा उसके बाद फिर से केला पत्ता रखा जाता है। पहले क्रियाकर्म कर्ता (परिवार का सदस्य) मिट्टी देता है फिर समाज के लोग मिट्टी देते हैं अन्य लोग के द्वारा मिट्टी देकर पाट कर (समतल कर) दिया जाता है। लकड़ी ऊपर से बिछा दिया जाता है ताकि जानवरों से सुरक्षित हो सके पानी डाल कर समतल कर दिया जाता है किनारे से रेखांकित किया जाता है थोड़ी जगह भूत प्रेत होने की दशा में आने जाने के लिए छोड़ दी जाती है। अरंडी अर्थी को

Copyright © 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 1 July 2020

पलट कर डंडी को काट दिया जाता है। गड्ढे खोदने मैं इस्तेमाल की जाने वाली फावड़ा को उल्टा करके पूर्व से पश्चिम की ओर मठ के ऊपर रख दिया जाता है।

नहान का कार्य - परिवार के सदस्य क्रियाकर्म करने वाले फावड़ा लेकर नदी अथवा तालाब की ओर जाया जाता है वहां उल्टा फावड़ा को नदी तालाब में डुबाया जाता है टपकता पानी को बाएं हाथ के चीनी उंगली से पानी लेकर छू आते हैं और सभी नहान कर परिवार के सदस्य को आगे रखकर पंक्ति बना कर घर वापस आते हैं घर पहुंचने से पहले अरवानी देने की प्रथा है यह प्रक्रिया भिन्न-भिन्न ग्राम में भिन्न-भिन्न हो सकती है यह क्रिया पहले दिन दफन क्रिया के दिन अथवा बड़े नहाने के दिन की जाती है। अरवानी क्रिया में पितर देव को तंबाकू पानी मन दातुन भात पेज इत्यादि अर्पित किया जाता है। हाथ में सूखी मछली (सुखसी मछली) को महुआ के पत्ते में लाया जाता है जिससे बिसरान छूवाना कहा जाता है घर पहुंचने पर पानी डाल कर अंदर प्रवेश किया जाता है कसा पानी छिड़ककर घर वह स्वयं को झूसी कर्म की जाती है शरीर में तेल लगाकर गांव व समाज के लोगों को दाल चावल दिया जाता है । रूढ़ि प्रथा के अनुसार मृत्यु संस्कार दाल भात में खत्म किया जाता है इसके पश्चात बड़े नहाने का दिन निश्चित किया जाता है यदि महिला मृतक है तो नौवें दिन बड़े नहाने रखा जाता है एवं पुरुष मृतक है तो मृत्यु तिथि के दसवे दिन बड़े नहाने का आयोजन किया जाता है यह तिथि आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है । क्षमता अनुसार ही तिथि का निर्धारण किया जाता है, शोध के दौरान पाया गया कि कमजोर आर्थिक स्थिति होने पर 1 साल बाद या आने वाले महीने पर भी बड़े नहानी का आयोजन किया जाता है।

Copyright © 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 1 July 2020

तीज नहान- तीसरे दिन घर व परिवार के शुद्धीकरण के लिए होता है ।

पिता चाबनी - यह एक नेग है जिसमें अपने पितर देव (पूर्वजों को) याद कर दो कोण्डी (घड़ा) मंद (महुआ का शराब), पानी, कसा पानी एवं आम के पत्ते से घर शुद्ध कर पितर में अर्पण किया जाता है।

बड़े नहानी- क्रियाक्रम कर्ता के द्वारा कावड़ लेकर तालाब की ओर जाया जाता है गांव के पुजारी के द्वारा कांवर उतारने के लिए अंडा, मंद (महुआ की शराब), चावल , सिंदूर अर्पण करके कंवर उतारा जाता है पांच प्रकार के पूंज बनाया जाता है माटी देव का पूंज, रक्षा करने वाले के नाम से, घर वाले के नाम से, मृत व्यक्ति के नाम व शत्रु के नाम से, अंडा चढ़ाया जाता है । बाल मुंडाने की क्रिया केवल क्रियाकर्म कर्ता के द्वारा की जाती है बाकी सभी सगे संबंधियों के द्वारा दाढ़ी बनाई जाती है एवं नहाया जाता है। क्रियाकर्म करने वाले के द्वारा अंडा फोड़ा जाता है। लाई, तंबाकू एवम् मंद दिया जाता है । शरीर में तेल लगा कर पितर के नाम से लाई को देवता पर चढ़ा कर सामाज के लोग खाते हैं । पितर को कावर उतारने के स्थान पर चौकी मुर्गी (रंग बिरंगी मुर्गी) काटकर चढ़ाया जाता है। वर्तमान में यह ने नरियाल के द्वारा कुछ हिस्से में संपन्न किया जाता है। वापस घर की ओर आया जाता है, पानी फेर कर घर में प्रवेश किया जाता है आरवानी ले जाया जाता है मृत आत्मा हेतु बना हुआ भोजन अर्पण की क्रिया आरवानी होती है जिसमें चावल, दाल एवं खीर का भोग लगाकर पलट दिया जाता है महिलाएं भी आरवानी की रस्म अदा करती है । आरवानी के नेग संपन्न होने पर क्रियाकर्म कर्ता को पुजारी द्वारा आरती देकर स्नान कराया जाता है। जिसमें मिट्टी, हल्दी, इमली, तेल सिर से लेकर पैर तक लगाकर मला जाता है फिर खाने की प्रक्रिया शुरू होती है ।

Copyright © 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 1 July 2020

दान- दान देने की प्रक्रिया होती है जिसमें भांजे को दान (धान चावल कपड़ा जूता) दिया जाता है। भांजे को किसी के घर डेरा (रुकने का स्थान) दिया जाता है दान देने वाले व्यक्ति के द्वारा डेरा में जाकर एक बोतल मंद, लाई (धान मुर्रा) लेकर उसे घर लाया जाता है, पैर धुला कर सामान दान दिया जाता है एवम् लाई खाया जाता है।

मुड़बाधनी नेग - माटी देव को याद कर पुजारी, हजारी फूल, कपड़ा क्रियाकर्म कर्ता को पगड़ी है और परिवार के सभी सदस्य का साथ बिठाकर समाज के लोग पैसा व कपड़ा देते हैं और समझाई दिया जाता है ताकि दुख कम हो सके और आने वाला जीवन कमी के बिना व्यतीत हो।

किसी महिला के पति खत्म होने पर उसे नती तोड़ या देवर तोड़ देना होता है इस तोड़ का आशय यह होता है कि यदि कम आयु में पति खत्म हो गया है तो वह महिला बाकी का जीवन कुटुंब (परिवार) के साथ बिताएगी या घर से अलग होना चाहती है जब तक वह तोड़ नहीं देती तब तक उसे बाज़ार व मड़ई (मेला) जाने की अनुमति नहीं होती है।

मथुरा हाट नेग - मुड़बंधनी नेग से प्राप्त पैसे से बाज़ार जाकर मंद, चावल एवम् अन्य वस्तुएं लाकर घर के पितर देव पूर्वजों को अर्पित किया जाता है। इसके पश्चात ही फूल देकर चूल्हे में अर्पण किया जाता है इस प्रकार यह इशारा इस ओर इशारा करता है कि दुःख समाप्त हो चुका है अब घर से बाहर जाकर सामान्य जीवन यापन कर सकते हैं।

संदर्भ सूची:-

[1] Vidyarthi, L.P. & Mishra, N. (1977): Harijan today, Classical publication New

Copyright © 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 1 July 2020

Delhi.
[2] Risley, Herbert Hope, (1915). The people of India, Calcutta & Simla, Thackes,
spink & Co.
[3] HUTTON, J. H. (1847), Cast in India: It's nature functions and origin,
Harvard University Press. The Macmillan. Co., Newyork.
[4] Baiues, Athelstane. (1912) Ethnography cast and tribes, strassburg K.J.
Trubner.
[5] Ghurye, Govind Sadashiv, (1983) – The scheduled tribes of India.
[6] ELWIN, VERRIER, (1939) The Baiga, London : John Murray.
[7] Gisbert, P. (1957) Fundamentals of Sociology, Orient Longman Private
Limited-, pp 376.
[8]
ttp//www.tribal.nic.in/writeReadData/archivedoc/20141017 01133.
19773837 Profile ata Glance.pdf.
[9] http//www.ni.Wikipedia. org/wiki/ आदिवासी

Copyright © 2020 Authors